न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी विश्वजीत सिंह (आर0ए0एस0)

दर्ज दिनांक 10.01.2022

प्रकरण संख्या :–4 / 2022 (2022 / 4)
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. राजु आत्मज कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नुर मोहम्मद आत्मज कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शाहिदा पुत्री कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शरीफन पुत्री कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बरकत बानु पुत्री आत्मज कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कलसुम पत्नि रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नुर मोहम्मद आत्मज कासम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पीरू मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर
4. फरीदा पुत्री रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबुदीन आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मुस्ताक आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रहीना पुत्री रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शकुर आत्मज कासम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सोकत आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हुसेना बानु पत्नि मुन्ने खां मंसुरी निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– **अधिवक्ता वादीः– राजूलाल नायक**
प्रतिवादी सं0 1 लगायत 11ः– एकपक्षीय
प्रतिवादी सं0 12ः– पेरोकार सरकार

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक 18.02.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.04.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 247 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 248 रकबा 0.01 है0 गै.मु. खड्डा, आराजी संख्या 249 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 250 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 251 रकबा 0.63 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/172 दिनांक 05.02.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया ।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	राजू पुत्र कालु खां 1/5, नुर मोहम्मद पुत्र कालु खां 1/5, शरीफन पुत्री कालु खां 1/5, शाहिदा पुत्री कालु खां 1/5, बरकत बानू पत्नि कालु खां 1/5 मुसलमान सा.देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 899)	251 249/2	0.63 0.01
		योग	2	**0.64**
2	कलसुम पत्नि रहीम 1/54, फरीदा पुत्री रहीम 1/54, मुस्ताक पुत्र रहीम 1/54, रहीना पुत्री रहीम 1/54, सोकत पुत्र रहीम 1/54 मुसलमान सा.देह, गोपीलाल पुत्र नाहरूलाल 2/27, भागीरथ पुत्र नाहरूलाल 1/27, यशोदादेवी पत्नि बालुराम 1/9 गुजर, मुकेश वैष्णव पुत्र सुवालाल 1/5 वैष्णव (बैरागी) सा जगपुरा, बालीदेवी पत्नि मूलचन्द 1/3 कुमावत सा. जगपुरा खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 899)	249/1 250	0.64 0.31
		योग	2	**0.95**
3	शामलाती बदस्तुर	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 899)	247 248	0.04 0.01
		योग	2	**0.05**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विश्वजीत सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–4 / 2022 (2022 / 4) दर्ज दिनांक 10.01.2022

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. राजु आत्मज कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नुर मोहम्मद आत्मज कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शाहिदा पुत्री कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शरीफन पुत्री कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बरकत बानु पुत्री आत्मज कालु मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कलसुम पत्नि रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नुर मोहम्मद आत्मज कासम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पीरू मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर
4. फरीदा पुत्री रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबुदीन आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मुस्ताक आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रहीना पुत्री रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शकुर आत्मज कासम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सोकत आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हुसेना बानु पत्नि मुन्ने खां मंसुरी निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– **अधिवक्ता वादीः– राजूलाल नायक**
प्रतिवादी सं0 1 लगायत 11:– एकपक्षीय
प्रतिवादी सं0 12:– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 18.02.2025
डिक्री दिनांक : 18.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री राजुलाल नायक व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	राजू पुत्र कालु खां 1/5, नुर मोहम्मद पुत्र कालु खां 1/5, शरीफन पुत्री कालु खां 1/5, शाहिदा पुत्री कालु खां 1/5, बरकत बानू पत्नि कालु खां 1/5 मुसलमान सा.देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 899)	251 249/2	0.63 0.01
		योग	2	0.64

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2	कलसुम पत्नि रहीम 1/54, फरीदा पुत्री रहीम 1/54, मुस्ताक पुत्र रहीम 1/54, रहीना पुत्री रहीम 1/54, सोकत पुत्र रहीम 1/54 मुसलमान सा.देह, गोपीलाल पुत्र नाहरूलाल 2/27, भागीरथ पुत्र नाहरूलाल 1/27, यशोदादेवी पत्नि बालुराम 1/9 गुजर, मुकेश वैष्णव पुत्र सुवालाल 1/5 वैष्णव (बैरागी) सा जगपुरा, बालीदेवी पत्नि मूलचन्द 1/3 कुमावत सा. जगपुरा खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 899)	249/1 250	0.64 0.31
		योग	**2**	**0.95**
3	शामलाती बदस्तुर	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 899)	247 248	0.04 0.01
		योग	**2**	**0.05**

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ...... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.02.2025 को जारी किया गया।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर